

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

3433 सँची
दिनांक :- 9.7.11

अधि० सं०-1/स्था०-01/2007 ज.स. —————/ दिनांक 13.06.11 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) (नियमित/चालू प्रभार) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुधीर हेम्ब्रम(अ.ज.जा.) 4590/10.07.61/देवघर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-02, देवघर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) के रूप में सेवा नगर विकास विभाग को।	
2	श्री चन्दा हेम्ब्रम(अ.ज.जा.) 4621/31.01.64/दुमका	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, दुमका	
4	श्री गोपाल राम रजक(अ.जा.) 3867/04.08.57/गुमला	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) सिंचाई अंचल, मधुपुर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को।	
5	श्री जॉन अनिल माल्टो (अ.ज.जा.) 4393/17.01.64/गोड्डा	सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता कार्यालय, सुवर्णरेखा परियोजना ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, जमशेदपुर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जल पथ अंचल, दुमका	
6	श्री सोहन सेठ(अ.जा.) 3874/10.05.63/रौंछी	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग झारखण्ड	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	
7	श्री बंकिम चन्द्र मंडल 1427/03.04.52/मधुबनी	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) बराज अंचल, गालूडीह	
8	श्री मिथिलेश कुमार(अ.ज.जा.) 4390/26.01.57/सिंहभूम	सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, मेदिनीनगर	सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता, जल संसाधन रौंछी	

चौधरी

1	2	3	4	5
9	श्री विपिन कुमार सिंह 1667/15.12.53/ समस्तीपुर	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, राँची	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) अग्रिम योजना अंचल, राँची	
10.	श्री अरुण कुमार सिंह 1638/25.01.54/ गया	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02 राँची	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-02, देवघर	
11.	श्री विश्वनाथ बोईपोई (अ.ज.जा.) 4446/01.11.69/ पू.सिंहभूम	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) खरकई बाँध अंचल, ईचा चालियामा	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल, गढ़वा	
12.	श्री डेविड कूजूर (अ.ज.जा.) 4616/12.08.63/ राँची	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) अग्रिम योजना अंचल, राँची	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल, हजारीबाग	
13.	श्री मोती राम(यॉ.)(अ.जा.) एम.-278/03.07.52/ रोहतास	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर	निदेशक, क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग, राँची	

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक-

3433

राँची, दिनांक- 9.7.11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी. सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक-

3433

राँची, दिनांक- 9.7.11

प्रतिलिपि-महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि., राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा

परियोजना, जमशेदपुर/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार अविलम्ब सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के भीतर विरमित नहीं होने पर संबंधित अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी उक्त पदाधिकारियों का माह जुलाई 2011 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)
संस्कार के संयुक्त सचिव(प्र०)
संयुक्त सचिव